–: अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 8542–8673/भवन निर्माण(91)/2011, दिनांक 18.11.2011 के माध्यम से **अक्षमता पेंशन योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1473/छत्तीस–2–12–227 दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से प्रतिमाह रू0 1,000/– बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।